राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur-313001.
दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स/ Fax: (0294)-2410526

क्रमांकः निदे/प.2/कास/नियम/2017/ 1902 दिनांकः–18–10–2017

# आदेश

शासन के पत्र क्रमांक प.14(1)खान/ग्रुप–2/2011 जयपुर दिनांक 09.10.2017 के क्रम में खनन पट्टों से निर्गमित किये जाने वाले खनिज के ई–रवन्ना जारी करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. ई–रवन्ना जारी करने के लिए समस्त लीज धारकों को अपनी एस.एस.ओ.आई.डी. के माध्यम से उनके पक्ष में राज्य में स्वीकृत समस्त लीजों की विभागीय वेब–साईट पर मेपिंग करना आवश्यक होगा।
2. लीज धारक विभागीय वेब–साईट पर दिन–प्रतिदिन के विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु अपनी सुविधानुसार एक से अधिक सब–यूजर बना सकेगा।
3. ई–रवन्ना जारी करने से पूर्व लीज से खनन निर्गमन के उपयोग में आने वाले वाहन का इन्द्राज वेब–साईट पर ही व्हीकल मास्टर्स में करना होगा।
4. व्हीकल मास्टर्स में की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां यथा गाड़ी नम्बर, गाड़ी का खाली वजन, अधिकतम अनुमत वजन इत्यादि परिवहन विभाग द्वारा उस वाहन हेतु जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार होना आवश्यक है।
5. लीज धारक द्वारा जिन व्यक्तियों/फर्म को खनिज का विक्रय किया जाना है उनका एकबारगी अंकन क्लाईंट मास्टर्स में करना होगा।
6. लीज धारक को विभाग द्वारा अधिकृत तुला यंत्रों में से अपनी लीज के निकटस्थ तुला यंत्रों का चयन कर उसे विभागीय वेब साईट पर अपने लीज क्षेत्र से लिंक कराना होगा। लीज धारक द्वारा लिंक किये गये तुला यंत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी तुला यंत्र पर उक्त लीज से सम्बन्धित वाहनों का तौल एवं रवन्ना जनरेट नहीं किया जा सकेगा।
7. लीज धारक किसी भी स्थान से वेब साईट अथवा मोबाईल एप के माध्यम से अन–कन्फर्म ई–रवन्ना जनरेट कर सकेगा परन्तु किसी भी स्थिति में बिना अन–कन्फर्म ई–रवन्ना एवं ड्राईवर के मोबाईल पर अन–कन्फर्म रवन्ना के मेसेज के अभाव में खनन वाहन लीज क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल सकेगा। यदि कोई वाहन अन–कन्फर्म रवन्ना के बिना स्वीकृत लीज सीमा से बाहर पाया जाता है तो इसे पूर्णतः अवैध निर्गमन मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. खनन पट्टेधारियों द्वारा ई–रवन्ना (अन–कन्फर्म्ड) कोई विभागीय बकाया देय नहीं होने की स्थिति में ही जारी किये जा सकेंगे। साथ ही तुलायंत्र पर ई–रवन्ना (कन्फर्म्ड) भी तभी जारी किया जायेगा यदि खनिज की रॉयल्टी का बेलेंस उसके खाते में जमा होगा। डेड रेंट की सीमा के बाद जारी किये जाने वाले ई–रवन्ना पर अधिक अधिशुल्क ठेका होने पर संबंधित ठेकेदार द्वारा अधिशुल्क वसूल किया जायेगा।
9. अन–कन्फर्म रवन्ना जारी करने के बाद निर्धारित समय जो छः घन्टे से अधिक नहीं होगा, में वाहन अधिकृत तुला यंत्र पर पहुंच कर अपना वजन कराये, यह दायित्व लीज धारक

का होगा। यदि निर्धारित अवधि में अन–कन्फर्म रवन्ना को कन्फर्म नहीं कराया जाता है तो निर्गमित खनिज अवैध निर्गमन की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10. ऐसे लीज धारक जिनका लीज क्षैत्र में ही तुला यंत्र स्थापित है, उन्हें उक्त तुला यंत्र को अधिकृत कराने बाबत विभाग में आवेदन करना होगा, परन्तु तुला यंत्रों पर निर्धारित क्षमता की अबाध इंटरनेट उपलब्धता रखने की लीज धारकों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। विभाग द्वारा अधिकृत किये जाने के पश्चात् ही इन तुला यंत्रों से ई–रवन्ना जनरेट किया जा सकेगा।
11. लीज क्षैत्र से अंतिम गंतव्य स्थल के मध्य खनिज वाहनों को विभागीय अधिकारियों/अन्य अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वाहन का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर ड्राईवर के मोबाईल में उपलब्ध एस.एम.एस. अथवा मोबाईल एप के माध्यम से वाहन नम्बर अंकित करके प्रमाणीकरण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में निरीक्षण अधिकारी द्वारा रवन्ना की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने के लिए वाहन चालक को बाध्य नहीं किया जायेगा।
12. अन–कन्फर्म्ड रवन्ना जारी करते समय गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए जितनी अधिकतम समय–सीमा अंकित की गई है, उस समय के पूर्ण होने तक उस वाहन से अन्य कोई ई–रवन्ना जारी नहीं किया जा सकेगा।
13. लीज धारक को लीज क्षैत्र से गंतव्य स्थल के मध्य वाहन में तकनीकी खराबी आने पर एवं समयावधि बढ़ाने की आवश्यकता होने पर वाहन के खराब होने के एक घंटे के भीतर सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता को वाहन रवन्ना की सम्पूर्ण जानकारी के साथ जरिये ई–मेल सूचना देनी होगी तथा खनिज निर्गमन की अवधि खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता द्वारा बढ़ाई जा सकेगी परन्तु यह अवधि किसी भी स्थिति में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी।
14. लीज धारक विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ही ऑन लाईन मासिक रिटर्न्स फाईल कर सकेंगे।

18-10-17

(डी.एस.मारू),
निदेशक

क्रमांकः निदे/प.2/कास/नियम/2017/ 1903 – 1917        दिनांकः–18 –10–2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को शासन पत्र दिनांक 09.10.2017 एवं दिनांक 11.10.2017 को आयोजित मिटींग में लिये गये निर्णय के कम में ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस. के.का., उदयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय/समस्त जोन/सर्तकता/पर्यावरण एवं विकास के.का., उदयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार के.का., उदयपुर
5. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त/सतर्कता
6. समस्त खनि अभियन्ता खण्ड/सतर्कता
7. समस्त सहायक खनि अभियन्ता उपखण्ड/सतर्कता
8. रक्षित पत्रावली ।

18-10-17

(ओम प्रकाश काबरा),
अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III)